


नोटिस

53वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, पोस्ट-पालेम
मण्डल-कालिकिरी, जिला-अन्नामया (आंध्र प्रदेश)

दल संख्या 190530091 सि०/जीडी० अग्न S/O Sh. Tek Ram VIII-Kirmara, P.O- Kirmara Teh-Hisar, P.S-Agroha Distt-Hisar, State- Haryana Pin Code-125047 वाहिनी, भा०ति०सी०पुलिस बल, आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 24.07.2023 से 12.08.2023 तक (दिनांक 23.07.2023 एवं 13.08.2023 रविवार सहित) 20 दिन अवकाश स्वीकृत कर भेजा गया था। आप दिनांक 13.08.2023 (अप्रा०) से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति, सूचना के एवं अपनी इच्छा से लगातार अनुपरिथत चल रहे हैं और आपकी अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 2076 दिनांक 28.09.2023 एवं संशोधन आदेश संख्या 7199-7201 दिनांक 09.10.2023 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया था और न्यायिक जांच की संस्तुति के अनुसार आपको 22वीं वाहिनी के आदेश संख्या 8181-99 दिनांक 08.11.2023 के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2023 (अप्रा०) से बल से "भगौड़ा" घोषित किया गया है। आपको अंतिम अवसर देते हुये पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशित होने के उपरांत 15 दिनों के अंतराल में, बिना कोई पत्राचार किये 53वीं वाहिनी मुख्यालय, भा०ति०सी०पु०बल, कालिकिरी, अन्नामया आंध्र प्रदेश/आवागमन शिविर, रायपुर (छत्तीसगढ़), अथवा वाहिनी, सामरिक मुख्यालय, 53वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जेलवाड़ी कैम्प, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी आमद दें अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप बल में अग्रिम सेवा के इच्छुक नहीं हैं और आपके विरुद्ध भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली 1994 के अंतर्गत आपको बिना कोई अग्रिम सूचना दिये अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।


सेनानी

53वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु०बल
05/10/2024

CBC 19112/11/0099/2425